भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †618
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाना

†618. प्रो. सौगत रायः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की नई रॉयल्टी दरों का ब्यौरा क्या है;
(ग) केंद्र और राज्यों के बीच ऐसे खनिजों की रॉयल्टी के अनुपात का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या नई तर्कसंगत दरें सीज़ियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनिज ब्लॉक्स कीनीलामी को बढ़ावा देने में सहायक होंगी; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) जी, हाँ। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बना दिया है। 2022 से तर्कसंगत बनाई गई महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) खनन गतिविधियों से प्राप्त होने वाली समस्त रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकार के खाते में जाती है।

(घ) और (ड.): जी, हाँ। महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने से उनकी नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। आज तक, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 34 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने 16.09.2025 को 23 खनिज ब्लॉकों के लिए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी का छठा चरण शुरू किया है, जिसमें रूबिडियम और जिरकोनियम खनिजों के ब्लॉक शामिल हैं।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **618** के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित</u>

क्र.सं.	खनिज	रॉयल्टी की दरें
1.	बेरिलियम	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट बेरिलियम धातु पर प्रभार्य बेरिलियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
2.	कैडमियम:	
	(i) प्राथमिक	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट कैडमियम धातु पर प्रभार्य कैडमियम धातु की औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत।
	(ii) उपोत्पाद	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उप-उत्पाद कैडमियम धातु पर प्रभार्य कैडमियम धातु की औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
3.	कोबाल्ट	
	(i) प्राथमिक	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट कोबाल्ट धातु पर प्रभार्य कोबाल्ट धातु के औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत।
	(ii) उपोत्पाद	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उप-उत्पाद कोबाल्ट धातु पर प्रभार्य कोबाल्ट धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
4.	गैलियम:	
	(i) प्राथमिक	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट गैलियम धातु पर प्रभार्य गैलियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत।
	(ii) उपोत्पाद	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उप-उत्पाद गैलियम धातु पर प्रभार्य गैलियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
5.	इंडियम	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट इंडियम धातु पर प्रभार्य इंडियम धातु की औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
6.	रेनियम	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट रेनियम धातु पर प्रभार्य रेनियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
7.	सेलेनियम	
	(i) प्राथमिक	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सेलेनियम धातु पर प्रभार्य सेलेनियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत।

	(ii) उपोत्पाद	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उप-उत्पाद सेलेनियम धातु पर प्रभार्यसेलेनियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
8.	टैंटलम (कोलम्बाइट-टैंटलाइट से भिन्न अन्य अयस्कों से उत्पादित): (i) प्राथमिक (ii) उपोत्पाद	 उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टैंटलम धातु पर प्रभार्य टैंटलम धातु के औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उपोत्पादटैंटलम धातु पर प्रभार्य टैंटलम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
9.	टेल्यूरियम	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टेल्यूरियम धातु पर प्रभार्य टेल्यूरियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
10.	टाइटेनियम (टेरी या समुद्र तट की रेत में पाए जाने वाले खनिजों में ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकोक्सीन), इल्मेनाइट और रूटाइल से भिन्न अन्य अयस्कों से उत्पादित): (i) प्राथमिक (ii) उपोत्पाद	 उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टाइटेनियम धातु पर प्रभार्य टाइटेनियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उप-उत्पाद टाइटेनियम धातु पर प्रभार्य टाइटेनियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
11.	टंगस्टन:	यथानुपात आधार पर प्रति टन अयस्क में अंतर्विष्ट WO3 पर टंगस्टन ट्रायऑक्साइड (WO3) की औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत।
12.	वैनेडियम: i) प्राथमिक	 यथानुपात आधार पर प्रति टन अयस्क में अंतर्विष्ट V2O5 पर वैनेडियम पेंटोक्साइड की औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत।

	(ii) उपोत्पाद	यथानुपात आधार पर प्रति टन अयस्क में अंतर्विष्ट V2O5 पर वैनेडियम पेंटोक्साइड की औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत।
13.	लिथियम:	उत्पादित अयस्क में लिथियम धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का तीन प्रतिशत।
14.	नाइओबियम: (i) प्राथमिक (कोलंबाइट-टैंटलाइट से भिन्न अयस्कों से उत्पादित) (ii) उपोत्पाद (कोलंबाइट-टैंटलाइट से भिन्न अयस्कों से उत्पादित)	 उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट नियोबियम धातु पर प्रभार्य नियोबियम धातु की औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उप-उत्पाद नियोबियम धातु पर प्रभार्यनियोबियम धातु की औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत।
15.	दुर्लभ मृदा तत्व (समुद्र तट की रेत के खनिजों में पाए जाने वाले मोनाजाइट से भिन्न अयस्कों से उत्पादित):	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट दुर्लभ मृदा ऑक्साइड पर प्रभार्यदुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ) के औसत बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत।
16.	ग्लौकोनाइट और पोटाश	म्यूरेट ऑफ पोटाश बनाने के लिए भेजे गए अयस्क में निहित पोटाशियम ऑक्साइड (K2O) पर प्रभार्य भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा प्रकाशित म्यूरेट ऑफ पोटाश के मूल्य का ढाई प्रतिशत।
17.	मोलिब्डेनम	उत्पादित अयस्क में निहित मोलिब्डेनम धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज मोलिब्डेनम धातु मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।
18.	प्लैटिनम धातु समूह: (i) प्लैटिनम और पैलेडियम; (ii) रोडियम, इरिडियम और रूथेनियम; (iii) ऑस्मियम:	 उत्पादित अयस्क में प्लैटिनम और पैलेडियम धातुओं पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य का चार प्रतिशत; उत्पादित अयस्क में रोडियम, इरिडियम और रूथेनियम धातुओं पर प्रभार्यजॉनसन मैथे प्रीसियस मेटल्स मैनेजमेंट मूल्य का चार प्रतिशत; उत्पादित अयस्क में ऑस्मियम धातु पर प्रभार्य Osmium-Preis.com मूल्य का चार प्रतिशत।
19.	ग्रेफाइट:	

	(i) अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक फिक्स्ड कार्बन के साथ (ii) अस्सी प्रतिशत से कम फिक्स्डकार्बन के साथ	मूल्य के अनुसार आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत। मूल्य के अनुसार आधार पर औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत।
20.	ज़िरकोनियम	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट ज़िरकोनियम धातु पर प्रभार्य ज़िरकोनियम धातु के औसत बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत।